



THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 948

12 Aashwin, 1940(S)

Ranchi, Thursday, 4th October, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

4th October, 2018

Notification No. 39/2018 – State Tax

S.O. No.71 Dated-4th October, 2018-- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided, This notification shall be deemed to be effective from 4th September, 2018.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 22, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that where the person instead of replying to the notice served under sub-rule (1) for contravention of the provisions contained in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29, furnishes all the pending returns and makes full payment of the tax dues along with applicable interest and late fee, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in **FORM GST-REG 20.**”.

3. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that if the said document does not contain all the specified particulars but contains the details of the amount of tax charged, description of goods or services, total value of supply of goods or services or both, GSTIN of the supplier and recipient and place of supply in case of inter-State supply, input tax credit may be availed by such registered person.”.

4. In the said rules, in rule 55, in sub-rule (5), after the words “completely knocked down condition”, the words “or in batches or lots” shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (E), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(E) “Adjusted Total Turnover” means the sum total of the value of-

(a) the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2, excluding the turnover of services; and

(b) the turnover of zero-rated supply of services determined in terms of clause (D) above and non-zero-rated supply of services,

excluding-

(i) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies; and

(ii) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rule (4A) or sub-rule (4B) or both, if any,

during the relevant period.’.

6. In the said rules, with effect from the 23rd October, 2017, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -

(a) received supplies on which the benefit of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 113, dated the 24th October, 2017 or notification No. 40/2017-State Tax (Rate), dated the 07th November, 2017 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 120, dated the 07th November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or

(b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1299 (E), dated the 13th October, 2017.”.

7. In the said rules, in rule 138A, in sub-rule (1), after the proviso the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that in case of imported goods, the person in charge of a conveyance shall also carry a copy of the bill of entry filed by the importer of such goods and shall indicate the number and date of the bill of entry in **Part A of FORM GST EWB-01.**”.

8. In the said rules, for **FORM GST REG-20**, the following **FORM** shall be substituted, namely:-

“FORM GST REG-20
[See rule 22(4)]

Reference No. -

Date -

To

Name

Address

GSTIN/UIN

Show Cause Notice No.

Date-

Order for dropping the proceedings for cancellation of registration

This has reference to your reply filed vide ARN ----- dated ----- in response to the show cause notice referred to above. Upon consideration of your reply and/or submissions made during hearing, the proceedings initiated for cancellation of registration stands vacated for the following reasons:

<<text>>

or

The above referred show cause notice was issued for contravention of the provisions of clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Jharkhand Goods Services Tax Act, 2017. As you have filed all the pending returns which were due on the date of issue of the aforesaid notice, and have made full payment of tax along with applicable interest and late fee, the proceedings initiated for cancellation of registration are hereby dropped.

Signature

< Name of the Officer >

Designation

Jurisdiction

Place:

Date:

”.

(B) Details of inputs / capital goods received back from job worker other than the job worker to whom such goods were originally sent for job work; and losses and wastes:

GSTIN / State of job worker if unregistered	Challan No. issued by job worker under which goods have been received back	Date of challan issued by job worker under which goods have been received back	Description of goods	UQC	Quantity	Original challan No. under which goods have been sent for job work	Original challan date under which goods have been sent for job work	Nature of job work done by job worker	Losses & wastes	
									UQC	Quantity
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(C) Details of inputs/ Capital goods sent to job worker and subsequently supplied from premises of job worker; and losses and wastes:

GSTIN / State of job worker if unregistered	Invoice No. in case supplied from premises of job worker issued by the Principal	Invoice date in case supplied from premises of job worker issued by the Principal	Description of goods	UQC	Quantity	Original challan no. under which goods have been sent for job work	Original challan date under which goods have been sent for job work	Nature of job work done by job worker	Losses & wastes	
									UQC	Quantity
1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11

Instructions:

- Multiple entry of items for single challan may be filled.
- Columns (2) & (3) in Table (A) and Table (B) are mandatory in cases where fresh challan are required to be issued by the job worker. Otherwise, columns (2) & (3) in Table (A) and Table (B) are optional.
- Columns (7) & (8) in Table (A), Table (B) and Table (C) may not be filled where one-to-one correspondence between goods sent for job work and goods received back after job work is not possible.

6. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Place

Authorised Signatory

Date

Designation /Status.....

Signature
Name of

”.

10. In the said rules, after **FORM GSTR-8**, the following FORMS shall be inserted, namely:-

“FORM GSTR-9 (See rule 80) Annual Return						
Pt. I	Basic Details					
1	Financial Year					
2	GSTIN					
3A	Legal Name					
3B	Trade Name (if any)					
Pt. II	Details of Outward and inward supplies declared during the financial year					
			(Amount in ₹ in all tables)			
	Nature of Supplies	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5	6
4	Details of advances, inward and outward supplies on which tax is payable as declared in returns filed during the financial year					
A	Supplies made to un-registered persons (B2C)					
B	Supplies made to registered persons (B2B)					
C	Zero rated supply (Export) on payment of tax (except supplies to SEZs)					
D	Supply to SEZs on payment of tax					
E	Deemed Exports					
F	Advances on which tax has been paid but invoice has not been issued (not covered under (A) to (E) above)					
G	Inward supplies on which tax is to be paid on reverse charge basis					
H	Sub-total (A to G above)					
I	Credit Notes issued in respect of transactions specified in (B) to (E) above (-)					
J	Debit Notes issued in respect of transactions specified in (B) to (E) above (+)					
K	Supplies / tax declared through Amendments (+)					
L	Supplies / tax reduced through Amendments (-)					
M	Sub-total (I to L above)					
N	Supplies and advances on which tax is to be paid (H + M) above					
5	Details of Outward supplies on which tax is not payable as declared in returns filed during the financial year					
A	Zero rated supply (Export) without payment of tax					

B	Supply to SEZs without payment of tax					
C	Supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis					
D	Exempted					
E	Nil Rated					
F	Non-GST supply					
G	Sub-total (A to F above)					
H	Credit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (-)					
I	Debit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (+)					
J	Supplies declared through Amendments (+)					
K	Supplies reduced through Amendments (-)					
L	Sub-Total (H to K above)					
M	Turnover on which tax is not to be paid (G + L above)					
N	Total Turnover (including advances) (4N + 5M - 4G above)					
Pt. III	Details of ITC as declared in returns filed during the financial year					
	Description	Type	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5	6
6	Details of ITC availed as declared in returns filed during the financial year					
A	Total amount of input tax credit availed through FORM GSTR-3B (sum total of Table 4A of FORM GSTR-3B)		<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
B	Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)	Inputs				
		Capital Goods				
		Input Services				
C	Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid & ITC availed	Inputs				
		Capital Goods				
		Input Services				
D	Inward supplies received from registered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed	Inputs				
		Capital Goods				
		Input Services				
E	Import of goods (including supplies from SEZs)	Inputs				
		Capital Goods				
F	Import of services (excluding inward supplies from SEZs)					
G	Input Tax credit received from ISD					
H	Amount of ITC reclaimed (other than B above) under the provisions of the Act					
I	Sub-total (B to H above)					

J	Difference (I - A above)						
K	Transition Credit through TRAN-I (including revisions if any)						
L	Transition Credit through TRAN-II						
M	Any other ITC availed but not specified above						
N	Sub-total (K to M above)						
O	Total ITC availed (I+ N above)						
7	Details of ITC Reversed and Ineligible ITC as declared in returns filed during the financial year						
A	As per Rule 37						
B	As per Rule 39						
C	As per Rule 42						
D	As per Rule 43						
E	As per section 17(5)						
F	Reversal of TRAN-I credit						
G	Reversal of TRAN-II credit						
H	Other reversals (pl. specify)						
I	Total ITC Reversed (A to H above)						
J	Net ITC Available for Utilization (6O - 7I)						
8	Other ITC related information						
A	ITC as per GSTR-2A(Table 3 & 5 thereof)	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>		
B	ITC as per sum total of 6(B) and 6(H) above	<Auto>					
C	ITC on inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) received during 2017-18 but availed during April to September, 2018						
D	Difference [A-(B+C)]						
E	ITC available but not availed (out of D)						
F	ITC available but ineligible (out of D)						
G	IGST paid on import of goods (including supplies from SEZ)						
H	IGST credit availed on import of goods (as per 6(E) above)	<Auto>					
I	Difference (G-H)						
J	ITC available but not availed on import of goods (Equal to I)						
K	Total ITC to be lapsed in current financial year (E + F + J)	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>		
Pt. IV	Details of tax paid as declared in returns filed during the financial year						
9	Description	Tax Payable	Paid through cash	Paid through ITC			
				Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5	6	7
	Integrated Tax						
	Central Tax						
	State/UT Tax						
	Cess						
	Interest						

	Late fee							
	Penalty							
	Other							
Pt. V	Particulars of the transactions for the previous FY declared in returns of April to September of current FY or upto date of filing of annual return of previous FY whichever is earlier							
	Description	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess		
	1	2	3	4	5	6		
10	Supplies / tax declared through Amendments (+) (net of debit notes)							
11	Supplies / tax reduced through Amendments (-) (net of credit notes)							
12	Reversal of ITC availed during previous financial year							
13	ITC availed for the previous financial year							
14	Differential tax paid on account of declaration in 10 & 11 above							
	Description	Payable			Paid			
	1	2			3			
	Integrated Tax							
	Central Tax							
	State/UT Tax							
	Cess							
	Interest							
Pt. VI	Other Information							
15	Particulars of Demands and Refunds							
	Details	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	Interest	Penalty	Late Fee / Others
	1	2	3	4	5			
A	Total Refund claimed							
B	Total Refund sanctioned							
C	Total Refund Rejected							
D	Total Refund Pending							
E	Total demand of taxes							
F	Total taxes paid in respect of E above							

G	Total demands pending out of E above							
16	Information on supplies received from composition taxpayers, deemed supply under section 143 and goods sent on approval basis							
	Details			Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1			2	3	4	5	6
A	Supplies received from Composition taxpayers							
B	Deemed supply under Section 143							
C	Goods sent on approval basis but not returned							
17	HSN Wise Summary of outward supplies							
HSN Code	UQC	Total Quantity	Taxable Value	Rate of Tax	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	HSN Wise Summary of Inward supplies							
HSN Code	UQC	Total Quantity	Taxable Value	Rate of Tax	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Late fee payable and paid							
	Description				Payable		Paid	
	1				2		3	
A	Central Tax							
B	State Tax							

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place
Date

Signature
Name of Authorised Signatory

Designation / Status

Instructions: –

1. Terms used:
 - a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
 - b. UQC: Unit Quantity Code
 - c. HSN: Harmonized System of Nomenclature Code
2. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.
3. Part II consists of the details of all outward supplies & advances received during the financial year for which the annual return is filed. The details filled in Part II is a consolidation of all the supplies declared by the taxpayer in the returns filed during the financial year. The instructions to fill Part II are as follows:

Table No.	Instructions
4A	Aggregate value of supplies made to consumers and unregistered persons on which tax has been paid shall be declared here. These will include details of supplies made through E-Commerce operators and are to be declared as net of credit notes or debit notes issued in this regard. Table 5, Table 7 along with respective amendments in Table 9 and Table 10 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4B	Aggregate value of supplies made to registered persons (including supplies made to UINs) on which tax has been paid shall be declared here. These will include supplies made through E-Commerce operators but shall not include supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4A and Table 4C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4C	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4D	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
4E	Aggregate value of supplies in the nature of deemed exports on which tax has been paid shall be declared here. Table 6C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4F	Details of all unadjusted advances i.e. advance has been received and tax has been paid but invoice has not been issued in the current year shall be declared here. Table 11A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4G	Aggregate value of all inward supplies (including advances and net of credit and debit notes) on which tax is to be paid by the recipient (i.e.by the person filing the annual return) on reverse charge basis. This shall include supplies received from registered

	persons, unregistered persons on which tax is levied on reverse charge basis. This shall also include aggregate value of all import of services. Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
4I	Aggregate value of credit notes issued in respect of B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4J	Aggregate value of debit notes issued in respect of B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4K & 4L	Details of amendments made to B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E), credit notes (4I), debit notes (4J) and refund vouchers shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5A	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5B	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
5C	Aggregate value of supplies made to registered persons on which tax is payable by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5D,5E and 5F	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be declared here. Table 8 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details. The value of “no supply” shall also be declared here.
5H	Aggregate value of credit notes issued in respect of supplies declared in 5A,5B,5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5I	Aggregate value of debit notes issued in respect of supplies declared in 5A,5B,5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5J & 5K	Details of amendments made to exports (except supplies to SEZs) and supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5N	Total turnover including the sum of all the supplies (with additional supplies and amendments) on which tax is payable and tax is not payable shall be declared here. This shall also include amount of advances on which tax is paid but invoices have not been issued in the current year. However, this shall not include the aggregate value of inward supplies on which tax is paid by the recipient (i.e. by the person filing the annual return) on reverse charge basis.

4. Part III consists of the details of all input tax credit availed and reversed in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part III are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Total input tax credit availed in Table 4A of FORMGSTR-3B for the taxpayer would be auto-populated here.
6B	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(5) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. This shall not include ITC which was availed, reversed and then reclaimed in the ITC ledger. This is to be declared separately under 6(H) below.
6C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received from unregistered persons (other than import of services) on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6D	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received from registered persons on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6E	Details of input tax credit availed on import of goods including supply of goods received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs and capital goods. Table 4(A)(1) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6F	Details of input tax credit availed on import of services (excluding inward supplies from SEZs) shall be declared here. Table 4(A)(2) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6G	Aggregate value of input tax credit received from input service distributor shall be declared here. Table 4(A)(4) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6H	Aggregate value of input tax credit availed, reversed and reclaimed under the provisions of the Act shall be declared here.
6J	The difference between the total amount of input tax credit availed through FORM GSTR-3B and input tax credit declared in row B to H shall be declared here. Ideally, this amount should be zero.

6K	Details of transition credit received in the electronic credit ledger on filing of FORM GST TRAN-I including revision of TRAN-I (whether upwards or downwards), if any shall be declared here.
6L	Details of transition credit received in the electronic credit ledger after filing of FORM GST TRAN-II shall be declared here.
6M	Details of ITC availed but not covered in any of heads specified under 6B to 6L above shall be declared here. Details of ITC availed through FORM ITC-01 and FORM ITC-02 in the financial year shall be declared here.
7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H	Details of input tax credit reversed due to ineligibility or reversals required under rule 37, 39,42 and 43 of the CGST Rules, 2017 shall be declared here. This column should also contain details of any input tax credit reversed under section 17(5) of the CGST Act, 2017 and details of ineligible transition credit claimed under FORM GST TRAN-I or FORM GST TRAN-II and then subsequently reversed. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. Any ITC reversed through FORM ITC -03 shall be declared in 7H.
8A	The total credit available for inwards supplies (other than imports and inwards supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) received during 2017-18 and reflected in FORM GSTR-2A (table 3 & 5 only) shall be auto-populated in this table. This would be the aggregate of all the input tax credit that has been declared by the corresponding suppliers in their FORM GSTR-I.
8B	The input tax credit as declared in Table 6B and 6H shall be auto-populated here.
8C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies (except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs) received during July 2017 to March 2018 but credit on which was availed between April to September 2018 shall be declared here. Table 4(A)(5) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
8E & 8F	Aggregate value of the input tax credit which was available in FORM GSTR-2A(table 3 & 5 only) but not availed in any of the FORM GSTR-3B returns shall be declared here. The credit shall be classified as credit which was available and not availed or the credit was not availed as the same was ineligible. The sum total of both the rows should be equal to difference in 8D.
8G	Aggregate value of IGST paid at the time of imports (including imports from SEZs) during the financial year shall be declared here.
8H	The input tax credit as declared in Table 6E shall be auto-populated here.
8K	The total input tax credit which shall lapse for the current financial year shall be computed in this row.

5. Part IV is the actual tax paid during the financial year. Payment of tax under Table 6.1 of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.

6. Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but declared in the returns of April to September of current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
10 & 11	Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of FORM GSTR-1 of April to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year, whichever is earlier shall be declared here.
12	Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for previous financial year, whichever is earlier shall be declared here. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
13	Details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year whichever is earlier shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.

7. Part VI consists of details of other information. The instructions to fill Part VI are as follows:

Table No.	Instructions
15A, 15B, 15C and 15D	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate value of all the refund claims filed in the financial year and will include refunds which have been sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders. Refund pending will be the aggregate amount in all refund application for which acknowledgement has been received and will exclude provisional refunds received. These will not include details of non-GST refund claims.
15E, 15F and 15G	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the demand has been issued by the adjudicating authority shall be declared here. Aggregate value of taxes paid

	out of the total value of confirmed demand as declared in 15E above shall be declared here. Aggregate value of demands pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of supplies received from composition taxpayers shall be declared here. Table 5 of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
16B	Aggregate value of all deemed supplies from the principal to the job-worker in terms of sub-section (3) and sub-section (4) of Section 143 of the JGST Act shall be declared here.
16C	Aggregate value of all deemed supplies for goods which were sent on approval basis but were not returned to the principal supplier within one eighty days of such supply shall be declared here.
17 & 18	Summary of supplies effected and received against a particular HSN code to be reported only in this table. It will be optional for taxpayers having annual turnover upto ₹ 1.50 Cr. It will be mandatory to report HSN code at two digits level for taxpayers having annual turnover in the preceding year above ₹ 1.50 Cr but upto ₹ 5.00 Cr and at four digits' level for taxpayers having annual turnover above ₹ 5.00 Cr. UQC details to be furnished only for supply of goods. Quantity is to be reported net of returns. Table 12 of FORM GSTR-1 may be used for filling up details in Table 17.
19	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.

FORM GSTR-9A (See rule 80) Annual Return (For Composition Taxpayer)							
Pt. I		Basic Details					
1	Financial Year						
2	GSTIN						
3A	Legal Name	<Auto>					
3B	Trade Name (if any)	<Auto>					
4	Period of composition scheme during the year (From ---- To ----)						
5	Aggregate Turnover of Previous Financial Year						
(Amount in ₹ in all tables)							
Pt. II		Details of outward and inward supplies declared in returns filed during the financial year					
	Description	Turnover	Rate of Tax	Central Tax	State / UT Tax	Integrated tax	Cess
	1	2	3	4	5	6	7
6	Details of Outward supplies on which tax is payable as declared in returns filed during the financial year						
A	Taxable						
B	Exempted, Nil-rated						
C	Total						
7	Details of inward supplies on which tax is payable on reverse charge basis (net of debit/credit notes) declared in returns filed during the financial year						
	Description	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	
	1	2	3	4	5	6	
A	Inward supplies liable to reverse charge received from registered persons						
B	Inward supplies liable to reverse charge received from unregistered persons						
C	Import of services						
D	Net Tax Payable on (A), (B) and (C) above						
8	Details of other inward supplies as declared in returns filed during the financial year						
A	Inward supplies from registered persons (other than 7A above)						
B	Import of Goods						
Pt. III		Details of tax paid as declared in returns filed during the financial year					
9	Description	Total tax payable		Paid			
	1	2		3			
	Integrated Tax						
	Central Tax						
	State/UT Tax						

	Cess							
	Interest							
	Late fee							
	Penalty							
Pt. IV	Particulars of the transactions for the previous FY declared in returns of April to September of current FY or upto date of filing of annual return of previous FY whichever is earlier							
	Description	Turnover	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess		
	1	2	3	4	5	6		
10	Supplies / tax (outward) declared through Amendments (+) (net of debit notes)							
11	Inward supplies liable to reverse charge declared through Amendments (+) (net of debit notes)							
12	Supplies / tax (outward) reduced through Amendments (-) (net of credit notes)							
13	Inward supplies liable to reverse charge reduced through Amendments (-) (net of credit notes)							
14	Differential tax paid on account of declaration made in 10, 11, 12 & 13 above							
	Description	Payable		Paid				
	1	2		3				
	Integrated Tax							
	Central Tax							
	State/UT Tax							
	Cess							
	Interest							
Pt. V	Other Information							
15	Particulars of Demands and Refunds							
	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	Interest	Penalty	Late Fee / Others
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Total Refund claimed							
B	Total Refund sanctioned							
C	Total Refund Rejected							
D	Total Refund Pending							
E	Total demand of taxes							

F	Total taxes paid in respect of E above						
G	Total demands pending out of E above						
16	Details of credit reversed or availed						
	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess		
	1	2	3	4	5		
A	Credit reversed on opting in the composition scheme (-)						
B	Credit availed on opting out of the composition scheme (+)						
17	Late fee payable and paid						
	Description	Payable	Paid				
	1	2	3				
A	Central Tax						
B	State Tax						

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place

Signature

Date

Name of Authorised Signatory

Designation / Status

Instructions: –

1. The details for the period between July 2017 to March 2018 shall be provided in this return.
2. Part I consists of basic details of taxpayer. The instructions to fill Part I are as follows :

Table No.	Instructions
5	Aggregate turnover for the previous financial year is the turnover of the financial year previous to the year for which the return is being filed. For example for the annual return for FY 2017-18, the aggregate turnover of FY 2016-17 shall be entered into this table. It is the sum total of turnover of all taxpayers registered on the same PAN.

3. Part II consists of the details of all outward and inward supplies in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part II are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Aggregate value of all outward supplies net of debit notes / credit notes, net of advances and net of goods returned for the entire financial year shall be declared here. Table 6 and Table 7 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
6B	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be declared here.
7A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. Table 4B, Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
7B	Aggregate value of all inward supplies received from unregistered persons (other than import of services) on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. Table 4C, Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
7C	Aggregate value of all services imported during the financial year shall be declared here. Table 4D and Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
8A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons on which tax is payable by the supplier shall be declared here. Table 4A and Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
8B	Aggregate value of all goods imported during the financial year shall be declared here.

4. Part IV consists of the details of amendments made for the supplies of the previous financial year in the returns of April to September of the current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
10,11,12,13 and 14	Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 5 (relating to inward supplies) or Table 7 (relating to outward supplies) of FORM GSTR- 4 of April to September of the current financial year or upto the date of filing of Annual Return for the previous financial year, whichever is earlier shall be declared here.

5. Part V consists of details of other information. The instruction to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
15A, 15B, 15C and 15D	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate value of all the refund claims filed in the financial year and will include refunds which have been sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders. Refund pending will be the aggregate amount in all refund application for which acknowledgement has been received and will exclude provisional refunds received. These will not include details of non-GST refund claims.
15E, 15F and 15G	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the demand has been issued by the adjudicating authority has been issued shall be declared here. Aggregate value of taxes paid out of the total value of confirmed demand in 15E above shall be declared here. Aggregate value of demands pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of all credit reversed when a person opts to pay tax under the composition scheme shall be declared here. The details furnished in FORM ITC-03 may be used for filling up these details.
16B	Aggregate value of all the credit availed when a registered person opts out of the composition scheme shall be declared here. The details furnished in FORM ITC-01 may be used for filling up these details.
17	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.”;

11. In the said rules, in **FORM GST EWB-01**, in the Notes, in serial number 7, in the Table, against Code 4 in the first column, for the letters and word “SKD or CKD” in the second column, the letters and words “SKD or CKD or supply in batches or lots” shall be substituted.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,

Additional Chief Secretary

Note:- The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary vide notification No. 3/2017- State Tax, dated the 20th June, 2017, published vide S.O. No. 28 dated the 20th June, 2017 and last amended vide notification No. 29/2018- State Tax, dated the 26th July, 2018, published vide S.O. No. 47, dated the 26th July, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना सं०. 39/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं. 71. दिनांक 4 अक्टूबर, 2018- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियमावली, 2018 है ।

(2) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 4 सितंबर, 2018 से प्रवृत्त होंगे ।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 22 के उपनियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां कोई व्यक्ति, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (1) के अधीन तामील की गई सूचना का उत्तर देने के बजाए, सभी लंबित विवरणियां देता है और लागू ब्याज और विलंब शुल्क के साथ शोधय कर का पूरा संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी, कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 में आदेश पारित करेगा ।”

3. उक्त नियमावली के नियम 36 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यदि उक्त दस्तावेज में सभी विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं हैं, किंतु प्रभारित कर की रकम के ब्यौरे, माल या सेवाओं का विवरण, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का कुल मूल्य, प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्यांक और अंतर्राज्यिक प्रदाय की दशा में प्रदाय का स्थान अंतर्विष्ट है तो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया जा सकेगा ।”।

4. उक्त नियमावली के नियम 55 के उपनियम (5) में, “या पूर्णतया नाकड-डाऊन स्थिति” शब्दों के पश्चात्, “या बैचों अथवा लाटों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त नियमावली के नियम 89 के उपनियम (4) के खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(3) “समायोजित कुल आवर्त” से, सुसंगत अवधि के दौरान--

(क) धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित, किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त का, सेवाओं के आवर्त को छोड़कर ; और

(ख) उपरोक्त खंड (ई) के निबंधनों में अवधारित सेवाओं के शून्य-दर प्रदाय और सेवाओं के गैर-शून्य दर प्रदाय के आवर्त

के मूल्य का कुल योग अभिप्रेत है, जिसमें,--

(i) शून्य-दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों का मूल्य ; और

(ii) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिनके संबंध में उपनियम (4अ) या उपनियम (4आ) या दोनों के अधीन प्रतिदाय, यदि कोई हो, का दावा किया गया है,

सम्मिलित नहीं है ।'।

6. उक्त नियमावली के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम, 23 अक्टूबर, 2017 से रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को,--

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की, एस. ओ. सं. 113, तारीख 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा झारखण्ड के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित या अधिसूचना सं. 40/2017- राज्य कर (दर), तारीख 07 नवंबर, 2017 जो एस. ओ. सं. 120, तारीख 07 नवंबर, 2017 झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, द्वारा प्रकाशित या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के फायदों का उपयोग किया है ; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के फायदों का उपयोग नहीं करना चाहिए ।”।

7. उक्त नियमावली के नियम 138क के उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि आयातित माल की दशा में, प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे माल के आयातकर्ता द्वारा फाइल किए गए प्रवेश पत्र की प्रति का भी वहन करेगा और प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रवेश पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित करेगा ।”।

8. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“जीएसटी आरईजी-20

[नियम 22(4) देखें]

संदर्भ संख्या -

तारीख :

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/यूआईएन

कारण बताओ सूचना संख्या -

तारीख :

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण हेतु कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के जवाब में आपके द्वारा एआरएन, तारीख द्वारा फाइल किए गए उत्तर को निर्दिष्ट करें। आपके उत्तर और/या सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों पर विचार करने पर, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से रद्द की जाती हैं :

<< पाठ >>

या

ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए जारी की गई थी। चूंकि आपने पूर्वोक्त सूचना के जारी करने की तारीख को बकाया सभी लंबित विवरणियां फाइल कर दी हैं, और लागू ब्याज और विलंब फीस के साथ कर का पूर्ण संदाय कर दिया है, अतः रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं।

हस्ताक्षर

< अधिकारी का नाम >

पदनाम

अधिकारिता

स्थान :

तारीख : "।

9. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

“जीएसटी आईटीसी-04

[नियम 45(3) देखें]

छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और उससे वापस प्राप्त माल/पूंजी माल के ब्यौरे

1. माल और सेवा कर पहचान संख्यांक --
2. (क) विधिक नाम -
(ख) व्यापार का नाम, यदि कोई है -
3. अवधि : तिमाही - वर्ष -
4. छूटपूट कार्य के लिए भेजे गए इनपुटों/पूंजी माल के ब्यौरे (जिसमें छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार के कारबार के स्थान/परिसर पर सीधे भेजे गए इनपुट/पूंजी माल भी हैं) :

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/अरजिस्ट्रीकृत छूटपूट कार्य करने वाले चालान संख्यांक	चालान तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	कराधेय मूल्य	माल का प्रकार (इनपुट/पूंजी माल)	कर की दर %				
							केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5. छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त या छूटपूट कार्य के कारबार के स्थान से बाहर भेजे गए इनपुटों/पूंजी माल के ब्यौरे :

(क) छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से, जिसे ऐसा माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था, वापस प्राप्त इनपुटों/पूंजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

(ग) छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और तत्पश्चात् छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार के परिसर से प्रदाय किए गए इनपुटों/पूजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	प्रमुख द्वारा जारी छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा प्रदाय की दशा में बीजक संख्यांक	प्रमुख द्वारा जारी छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा प्रदाय की दशा में बीजक की तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तारीख, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छूटपूट कार्य की प्रकृति	नुकसान और अपशिष्ट	
									यूक्यूसी	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11

अनुदेश :

1. एकल चालान के लिए मदों की बहु प्रविष्टियां भरी जाएं ।
2. उन मामलों में, जिनमें छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा नए चालान जारी करना अपेक्षित है, सारणी (क) और सारणी (ख) के स्तंभ 2 और स्तंभ 3 आज्ञापक है ।
3. जहां छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए माल और छुटपुट कार्य के बाद प्राप्त माल के बीच आपस में पत्राचार संभव नहीं है, वहां सारणी (क), सारणी (ख) और सारणी (ग) के स्तंभ 7 और स्तंभ 8 न भरे जाएं ।

6. सत्यापन

मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान :

तारीख

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

पदनाम/प्रास्थिति

10. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आर-8 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

उपाबंध-क**वार्षिक विवरणी**

“प्ररूप जी एस टी आर-9 (नियम 80 देखें) वार्षिक विवरणी						
पीटी. I	मूल ब्यौरे					
1	वित्तीय वर्ष					
2	जी एस टी आई एन					
3क	विधिक नाम					
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)					
पीटी..II	वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे					
	(सभी सारणियों में रकम रुपये में)					
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/संसघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
4	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणी में जो घोषित कर के रूप में संदेय है, पर अग्रिम, आवक और जावक प्रदाय के ब्यौरे					

क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ग)					
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ख)					
ग	कर संदाय (विशेष आर्थिक जोनों से भिन्न) शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
घ	कर संदाय पर विशेष आर्थिक जोन को प्रदाय					
ड.	समझा गया निर्यात					
च	अग्रिम जिस पर कर संदत्त हैं, परंतु बीजक जारी नहीं किए गए हैं (उपर्युक्त (क) से (ड.) के अधीन					

	समावेशित नहीं है					
छ	आवक प्रदाय जिस पर रिवर्स भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है					
ज	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ तक)					
झ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					
ञ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ट	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर					
ठ	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय / कर					
ड	(उपर्युक्त झ से ठ) का आंशिक योग					
ढ	प्रदाय और अग्रिम जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (ज+ड)					

5 ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथाघोषित कर संदेय नहीं है

क	कर संदाय के बिना शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
ख	कर संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोनों की प्रदाय					
ग	प्रदाय जिस पर उलटे गए भार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा					

	संदाय किया जाना है					
घ	छूट-प्राप्त					
ड.	शून्य रेटेड					
च	गैर - जी एस टी प्रदाय					
छ	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ)					
ज	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					
झ	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ञ	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय					
ट	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय					
ठ	आंशिक योग (उपर्युक्त ज से ट)					
ड	आवर्तन जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (छ+ढ)					
ढ	कुल आवर्तन (अग्रिम सहित) उपर्युक्त 4ढ + 5ड -4छ)					

पीटी.

III

वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में आई टीसी के ब्यौरे

विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्यकर/ससं घ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6

वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में उपयोग किए गए आई टीसी के ब्यौरे

क	प्ररुप जी एस टी आर-3ख के माध्यम से उपभोग की गई निवेश कर प्रत्यय की कुल रकम (प्ररुप जी एस टी आर - 3ख के सारणी 4क कर कुल जोड़)		<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	आवक प्रदाय (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	निवेश				
		पूजी माल				
		निवेश सेवाएं				
ग	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश				
		पूजी माल				
		निवेश सेवाएं				
घ	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश				
		पूजी माल				
		निवेश सेवाएं				
ड.	मालों का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से प्रदाय शामिल)	निवेश				
		पूजी माल				
च	सेवाओं का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से आवक प्रदाय छोड़कर)					
छ	आई एस डी से प्राप्त निवेश का प्रत्यय					
ज	अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुननिर्मित आई टी सी की रकम (उपर्युक्त ख से भिन्न)					
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त ख से ज)					
ञ	अंतर (उपर्युक्त झ-क)					
ट	टी आर ए एन- 1 के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय (पुनरीक्षण सहित, यदि कोई हो)					

ठ	टी आर ए एन- II के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय				
ड	उपभोग की गई किन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य आईटीसी				
ढ	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से ड तक)				
ण	उपभोग की गई कुल आई टी सी (उपर्युक्त झ + ढ)				

7	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में प्रतिवर्ती आई टी सी के और अपात्र आई टी सी के ब्यौरे
---	--

क	नियम 37 के अनुसार				
ख	नियम 39 के अनुसार				
ग	नियम 42 के अनुसार				
घ	नियम 43 के अनुसार				
ङ.	धारा 17 (5) के अनुसार				
च	टीआर ए एन - I प्रत्यय का उलटाव				
छ	टीआर ए एन - II प्रत्यय का उलटाव				
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
झ	कुल प्रतिवर्तित आई सी टी (उपर्युक्त क से ज)				
ञ	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आई टी सी (6ण-7झ)				

8	सूचना से संबंधित अन्य आई टी सी
---	--------------------------------

क	जी एस टी आर -2क के अनुसार आई टी सी	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल रकम के अनुसार आई टी सी	<आटो>			
ग	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न) परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं सहित) परंतु अप्रैल से सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग किए गए				

घ	अंतर (क- ख +ग)				
ड.	उपलब्ध आई टी सी परंतु उपभोग न की गई (घ में से)				
च	उपलब्ध आई टी सी परंतु अनुपयुक्त (घ में से)				
छ	मालों के आयात पर संदत्त आई जीएसटी (विशेष आर्थिक जाने से प्रदाय सहित)				
ज	मालों के आयात पर उपभोग की गई आई जीएसटी प्रत्यय (उपर्युक्त 6(ड.) के अनुसार	<आटो>			
झ	अंतर (छ-ज)				
ञ	मालों के आयात पर उपलब्ध आई टी सी परंतु उपयोग न की गई (झ के समान)				
ट	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययगत होने वाला कुल आई टी सी (ड. +च + ज)	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >

पीटी. IV	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में संदत्त कर के ब्यौरे				
	आई टी सी के माध्यम से संदत्त				

9	विवरण	सं दे य कर	संदत्त	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	समेकित कर	उपकर
				4	5	6	7
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शास्ति						
	अन्य						

पीटी. V	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, संव्यवहारों की विशिष्टियां
------------	---

	विवरण	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर(शुद्ध नामे नोट)					
11	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय/ कर(शुद्ध साख पत्र)					
12	पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई आई टी सी का उलटाव					
13	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी					

14	उपर्युक्त 10 और 11 में घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
	एकीकृत कर		
	केंद्रीय कर		
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
	उपकर		
	ब्याज		

पीटी. VI 15	अन्य जानकारी मांग और प्रतिदाय का विवरण
-------------	---

	ब्यौरा	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/ अन्य
	1	2	3	4	5			
क	कुल दावाकृत							

	प्रतिदाय							
ख	कुल मंजूर प्रतिदाय							
ग	कुल अस्वीकृत प्रतिदाय							
घ	कुल लंबित प्रतिदाय							
ड.	कुल करों की मांग							
च	उपर्युक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपर्युक्त ड. में से लंबित कुल मांग							

16 धारा 143 के अधीन समिश्रण कर दाताओं, समझी गई प्रदाय से प्राप्त प्रतियों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल

	ब्यौरे	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	समिश्रण करदाताओं से प्राप्त प्रदाय					
ख	धारा 143 के अधीन समझी गई प्रदाय					

ग	अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल, जो वापस नहीं आया				
---	--	--	--	--	--

17

जावक प्रदायों का सारांश वार एचएसएन

एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	सं दे य मूल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18

आवक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	सं दे य मूल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

19

संदेय और संदत्त विलंब फीस

	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

मैं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का

नाम

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. प्रयुक्त पद :

- क. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
 ख. यूक्यूसी : यूनिट मात्रा कूट
 ग. एचएसएन : नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

2. इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं ।

3. भाग II में वित्त वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है । भाग 2 में फाइल किए गए ब्यौरे वित्त वर्ष के दौरान करदाता द्वारा फाइल की गई विवरणियों में घोषित सभी प्रदायों का समेकन है । भाग 2 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
4क.	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी किए गए जमा पत्र या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमशः संशोधनों के साथ सारणी 5, सारणी-7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ख.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य(जिसके अंतर्गत यूआईएन को किए गए प्रदाय भी हैं) जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्यिक प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय यां सम्मिलित होंगी किंतु इनमें ऐसी प्रदाय यां सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ग.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4घ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ङ.	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ग का उपयोग

	किया जा सकेगा ।
4च.	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर संदत्त किया गया है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 11क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4छ.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और नामे नोट भी हैं) जिन पर कर का प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात् वार्षिक विवरणी फाइल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है । इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदग्रहित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित होगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा ।
4झ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ञ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ट और 4ठ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
5क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
5ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।

5ग.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है। नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5घ, 5ड और 5च.	छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा। जिसे प्रदाय नहीं माना गया है। के मूल्य की भी घोषणा यहां की जाएगी।
5ज.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5झ.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5ञ और 5ट.	निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदाय यां, जिन पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा।
5ढ.	कुल आवर्त, जिसके अंतर्गत सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और संशोधनों सहित) का योग सम्मिलित है, जिस पर कर संदेय है और कर संदेय नहीं है, की यहां घोषणा की जाएगी। इसके अंतर्गत अग्रिम की रकम भी सम्मिलित होगी, जिस पर कर संदत्त किया गया है, किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, इसमें आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, जिस पर प्राप्तकर्ता (अर्थात् वार्षिक विवरण फाईल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर कर संदत्त किया गया है।

4. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में उलट दिए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की जाती है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
6क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ख में लिए गए कर प्रत्यय को स्वतः यहां दिया जाएगा।
6ख.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य,

	<p>सिवाय उनके जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, किंतु इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा।</p> <p>जिसमें ऐसी आईटीसी सम्मिलित नहीं होगी जिसका उपभोग, रिवर्स किया गया था और तत्पश्चात् आईटीसी लेजर में उसका पुनः दावा किया गया था। इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में प्रथक रूप से की जानी चाहिए।</p>
6ग.	<p>अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न), जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा।</p>
6घ.	<p>रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा।</p>
6ङ.	<p>मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा।</p>
6च.	<p>सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को अपवर्जित करते हुए) पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) का उपयोग किया जा सकेगा।</p>
6छ.	<p>इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4) का उपयोग किया जा सकेगा।</p>
6ज.	<p>अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, उलटे गए और</p>

	पुनः दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ज.	प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी । आदर्श रूप में यह रकम शून्य होनी चाहिए ।
6ट.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1, जिसके अंतर्गत टीआरएएन-1 (चाहे आरोही या अधोमुखी हो) का पुनरीक्षण है, को फाइल करने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों, यदि कोई हों, की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ठ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 को फाइल करने के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ड	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01 और प्ररूप-आईटीसी-02 के माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहा घोषित किए जाएंगे।
7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ड, 7च, 7छ और 7ज	केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 37, नियम 39, नियम 42 और नियम 43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उलटने के कारण उलटे गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । इस स्तंभ में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अधीन उलटे गए किसी इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 या प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 के अधीन दावा किए गए अंतरण प्रत्यय, जो पात्र नहीं है, जिसे पश्चातवर्ती रूप से उलट दिया गया है, के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होने चाहिए । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा । प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से उलटे गए किसी आईटीसी को 7ज में घोषित किया जाएगा।
8क.	वर्ष 2017-18 के दौरान और प्ररूप जीएसटीआर-2ख में दर्शाया गया आवक प्रदायों के लिए उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (आयात और अनुलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों से भिन्न, किंतु जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में स्वतः दर्शाया जाएगा । यह उन सभी इनपुट कर प्रत्ययों का समग्र होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदाय कारों द्वारा अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषणा की गई है ।
8ख.	सारणी 6ख में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दिखाया जाएगा ।
8ग.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उन, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, किंतु

	इसमें जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल से सितंबर, 2018 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा।
8ड और 8च.	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क (केवल सारणी-3 और सारणी-5) में उपलब्ध था किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी में नहीं लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। उस प्रत्यय को प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो उपलब्ध था किंतु जिसको नहीं लिया गया है या प्रत्यय को नहीं लिया गया क्योंकि वह पात्र नहीं था। दोनों पंक्तियों का कुल योग 8घ में के अंतर के बराबर होना चाहिए।
8छ.	वित्त वर्ष के दौरान आयात के समय संदत्त आईजीएसटी (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जाने से आयात हैं) के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी।
8ज.	सारणी 6ड में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दर्शित किया जाएगा।
8ट.	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित्त वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगा, की इस पंक्ति में संगणना की जाएगी।

5. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त वास्तविक कर है। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

6. भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की विवरणी में या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वित्तीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, घोषित किया गया है। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी सं.	अनुदेश
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी आप्रदाय में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हों, में घोषित किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे।
12.	इनपुट कर प्रत्यय के उलटने का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के दौरान लिया गया था, किंतु जिसको चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए फाईल विवरणी में उलट दिया गया था या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, इनमें से

	जो भी पूर्वत्तर हो, को यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा ।
13	पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किंतु उसका उपभोग आईटीसी चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, फाइल की गई विवरणियों में किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को फाइल किए जाने हेतु उपयोग किया जा सकेगा ।

7. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं । भाग 6 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं :

सारणी सं.	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदाय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । दावा किया गया प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वह प्रतिदाय हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का समग्र मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके अंतर्गत प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं है । इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावो के ब्यौरे नहीं है ।
15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । पुष्ट की गई मांग के कुल मूल्य पर संदत्त करों का समग्र मूल्य की, जो ऊपर 15ड. में घोषित किया गया है की घोषणा की जाएगी । उपरोक्त 15ड. में लंबित वसूली की मांगों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
16ख	झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के निबंधनानुसार मालिक से फुटकर कामगारों तक सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

16ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया था, सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
17 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल इस सारणी में रिपोर्ट किया जाए । यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा, जिनका वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए तक है । यह ऐसे करदाताओं के लिए दो अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु 5.00 करोड़ रुपए तक है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है । माल के प्रदाय के लिए यूक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्तुत किए जाएं । मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है । सारणी-17 में के ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 12 का उपयोग किया जा सकेगा ।
19	विलंब फीस संदेय होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है ।

उपाबंध-ख

संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी

प्ररूप जीएसटीआर-9क (नियम 80 देखिए) वार्षिक विवरण (संरचना करदाता के लिए)							
भाग. I	आधारिक ब्यौरे						
1	वित्तीय वर्ष						
2	जीएसटीआईएन						
3क	विधिक नाम	<स्व>					
3ख	व्यवसाय नाम (यदि कोई हो)	<स्व>					
4	वर्ष (.....सेतक) के दौरान संरचना स्कीम की अवधि						
5	पूर्व वित्तीय वर्ष का कुल आवर्त						
(सभी सारणियों में रुपए में रकम)							
भाग. II	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में घोषित जावक और आवर्त प्रदायों के ब्यौरे						
	वर्णन	आवर्त	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
6	ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथाघोषित कर संदेय है						
क	कराधेय						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर						

ग	कुल					
7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिन पर कर वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में घोषित प्रतिलोम प्रभार आधार (नामे नोट/जमा पत्रों का योग) पर संदेय हैं					
	विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ग	सेवाओं का आयात					
घ	उपरोक्त (क), (ख) और (ग) पर संदेय शुद्ध कर					
8	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथाघोषित अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरे					
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त 7क से भिन्न)					
ख	माल का आयात					
भाग III	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथा घोषित संदत्त कर के ब्यौरे					
9	वर्णन	कुल संदेय कर		संदत्त		
	1	2		3		
	एकीकृत कर					
	केंद्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
	ब्याज					
	विलंब फीस					
	शास्ति					
भाग. IV	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहारों की विशिष्टियां					
	वर्णन	आवर्त	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग)					

11	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग)							
12	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग)							
13	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग)							
14	उपरोक्त 10, 11, 12 और 13 में की गई घोषणा के मद्दे संदत्त अंतरीय कर							
	वर्णन			संदेय			संदत्त	
	1			2			3	
	एकीकृत कर							
	केंद्रीय कर							
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
	उपकर							
	ब्याज							
भाग. V	अन्य जानकारी							
15	मांग और प्रतिदायों की विशिष्टियां							
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/अन्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
क	दावा किया गया कुल प्रतिदाय							
ख	स्वीकृत कुल प्रतिदाय							
ग	अस्वीकृत कुल प्रतिदाय							
घ	लंबित कुल प्रतिदाय							
ड.	करों की कुल मांग							
च	उपरोक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपरोक्त ड. के कारण लंबित कुल मांग							

16 उलटा गया या उपभुक्त प्रत्यय के ब्यौरे					
वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर	
1	2	3	4	5	
क	संरचना स्कीम में विकल्प लेने पर उलटा गया प्रत्यय (-)				
ख	संरचना स्कीम के कारण विकल्प लेने पर उपभुक्त प्रत्यय (+)				
17 संदेय और संदत्त विलंब फीस					
वर्णन	संदेय		संदत्त		
1	2		3		
क	केंद्रीय कर				
ख	राज्य कर				

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

स्थान:

हस्तारक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयावधि के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
2. भाग I में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं । भाग I को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
5	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है, पूर्व वित्तीय वर्ष का आवर्त है । उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है ।

3. भाग II में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं। भाग II को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
6क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का योग यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकेगा।
6ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
7क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ख, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा।
7ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से भिन्न) का कुल मूल्य, उलटे गए प्रभार के आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा।
7ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रदायकर्ता द्वारा संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4क और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा।
8ख	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।

4. भाग IV में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाइल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कि विवरणी में पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
10, 11, 12, 13 और 14	ऐसे किन्ही प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वित्तीय वर्ष की विवरणियों में पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए

वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी-7 (जावक प्रदायों से संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे ।

5. भाग V में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं । भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	प्रसंस्करण के लिए दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । दावाकृत प्रदाय वित्तीय वर्ष में फाइल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत, अस्वीकृत किया गया है या लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का कुल मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय आवेदनों में कुल रकम होगी, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा । इनमें गैर-माल और सेवाकर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे ।

15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । उपरोक्त 15ड में पुष्टि की गई मांगों के कुल मूल्य में से संदत्त करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है तो उलटे गए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप आईटीसी-03 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
16ख	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाह्य कर देने का चयन करता है तो उपभोग किए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप आईटीसी-01 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
17	विलंब शुल्क देय होगा, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है ।

11. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी के ईडब्ल्यूबी-01 के टिप्पणों में क्रम संख्या 7 के नीचे सारणी के पहले स्तंभ में कोड-4 के सामने दूसरे स्तंभ में "एस.के.डी." या "सी.के.डी." अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "एस.के.डी. या सी.के.डी. या बैचों या लॉटों में आप्रदाय " अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव

टिप्पण - मूल नियमावली झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. 3/2017- राज्य कर, तारीख 20 जून, 2017, जो एस. ओ. सं. 28, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 29/2018- राज्य कर, तारीख 26 जुलाई, 2018 जो एस. ओ. सं. 47, तारीख 26 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।
